न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00190RAAJodhpur2019-94RTA225 Mangilal ors Vs Bhanwaruram etc

1. मांगीलाल पुत्र श्री सुण्डाराम,
2. हपाराम पुत्र श्री सुण्डाराम,
3. हीराराम पुत्र श्री सुण्डाराम,
4. महीराम पुत्र श्री सुण्डाराम,
5. पूनाराम पुत्र श्री सुण्डाराम,
6. बनाराम पुत्र श्री सुण्डाराम,
7. छोगाराम पुत्र श्री सादुलराम,

सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण –विष्णुनगर, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. भंवरूराम उर्फ बाबुराम पुत्र श्री बिड़दाराम, जाति बिश्नोई, निवासी– विष्णुनगर तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर।
02. पोकरराम पुत्र श्री गोपाराम,
03. पूनाराम पुत्र श्री गोपाराम,
04. जेती पत्नी श्री खंगाराम,
05. लादाराम पुत्र श्री हमीरराम,
06. रामचन्द्र पुत्र श्री हमीरराम,
07. भींयाराम पुत्र श्री गुणेशराम,
08. मीरा पत्नी श्री नारायणराम,
09. दिनेश पुत्र श्री नारायणराम,

सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण विष्णुनगर, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 18 जुलाई 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2013 भंवरू बनाम बनाराम इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री बाबुलाल विष्नोई, श्री जगदीष प्रजापत अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री पूनाराम विष्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

श्री ओमप्रकाष डारा, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या पांच से नौ

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2013 भंवरू बनाम बनाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 18 जुलाई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 395 मौजा विष्णुनगर तहसील पीपाड़ शहर में आवागमन अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 392, 397, 398, 393, 393/520, 393/521, 396/1, 395 व 394 में सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ता चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/6, 3 व 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रार्थी के कथनों का विरोध किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 12.03.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित रास्ता प्रदान कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 41/2016 बअनुवानियत मांगीलाल बनाम भंवरूराम प्रस्तुत हुई। अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2017 के जरिये अपील स्वीकार की गई। अदालत हाजा के उक्त आदेष के विरूद्ध प्रार्थी भंवरूराम ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 2411/2017 पेश की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की एकलपीठ द्वारा वैकल्पिक रास्तों के संबंध में रिपोर्ट तलब की तथा निगरानी आंषिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्देषों के साथ मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मामला पुनः दर्ज कर अपीलाधीन आदेष दिनांक 18 जुलाई 2019 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया,, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल का हस्तगत मामले में स्पष्ट निर्देश था कि पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाई गई मौका फर्द दिनांक 10.06.2017 की परिप्रेक्ष्य में जो वैकल्पिक रास्ते जो सुझाये गये थे, उनमें से एक रास्ते के बाबत निर्णय पारित करें, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय मण्डल के निर्देषों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेष पारित कर पूर्व में पारित रास्ते को ही पुनः बहाल कर दिया। विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार का बिन्दु सर्वप्रथम निर्णित करना था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस साक्ष्य के शपथ पत्र व दस्तावेज की नकल अप्रार्थी अधिवक्ता को नहीं देकर अपने मनमाने रूप से निर्णय पारित करने का प्रयत्न किया, तब दिनांक 18.06.2019 को अप्रार्थी के अधिवक्ता को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा, जिसके जरिये लिखित बहस की मांग की, उसके बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये बगैर व अप्रार्थी अधिवक्ता को नकल दिलाये बगैर आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने मात्र इस आधार पर आलौच्य आदेश पारित किया कि अप्रार्थी का जो निर्माण है, उसके बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2015 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें रास्ते पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसे रूकवाया जावे, जिस पर तहसीलदार पीपाड़शहर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आदेश पारित किये, को आधार मानते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है। जबकि उक्त दोनो ही तथ्य राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में मौजुद थे तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष भी यह तथ्य उपलब्ध थे। इन पर पूर्व में गोर किया जा चुका था, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र इस तथ्य के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों को अनदेखा कर पूर्व में जहां अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता घोषित किया था, उसी जगह पर आलौच्य आदेश के जरिये रास्ता घोषित कर दिया जो कतई विधि सम्मत नहीं है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 18 जुलाई 2019 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। अपीलांट्स के अलावा अन्य खसरान् के खातेदार अपीलाधीन रास्ता हेतु सहमत है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब सभी मौका रिपोर्ट्स में अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया गया है। माननीय मण्डल द्वारा निगरानीधीन आदेष में नये पक्षकारान् को जोड़ने का कोई आदेष नहीं दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेष पारित किया गया है। अपीलांट्स किसी भी परिस्थिति में रेस्पोडेंट्स को रास्ता नहीं देना चाहते है। इसलिए उनके द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या पांच से नौ के अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। वे रास्ते देने हेतु सहमत है। केवल अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन रास्ते का विरोध किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.05.2015 एवं मौका फर्द दिनांक 16.01.2017 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खेत खसरा नंबर 395 में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते को ही लघुतम एवं निकटतम बताया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी संख्या 04, 06 से 10 के जबाब के मुताबिक उक्त अप्रार्थीगण द्वारा अपीलाधीन रास्ते को निकटतम एवं लघुतम बताया है तथा रास्ता प्रदान किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।

अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल द्वारा प्रदत निर्देषों की पालना नहीं की गई है। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में माननीय मण्डल द्वारा पारित आदेष दिनांक 09 जुलाई 2018 के अवलोकन से प्रकट होता है कि माननीय मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय को निर्देष जारी किये गये कि

वह मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2017 के क्रम में प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रास्ता स्वीकृति बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करे। मौका फर्द दिनांक 10.06.2017 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। **प्रथम विकल्प खसरा नंबर 398, 397, 393/520 एवं 393/521 में से बताया गया है। उक्त रास्ते के विकल्प की लंबाई 322 गट्ठा बतायी गई है।** रास्ते का द्वितीय विकल्प खसरा नंबर 392, 393/520, 393/521 में से बताया गया है। उक्त रास्ते के विकल्प की लंबाई 528 गट्ठा बतायी गई है। **विचारण न्यायालय द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनकर अपीलाधीन आदेष के जरिये प्रथम विकल्प का रास्ता स्वीकृत किया गया है जो लघुतम एवं निकटतम है।** ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र समाप्त हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल के निर्देषों की पालना नहीं की गई है।

दौराने बहस यह तथ्य भी सामने आया है कि पूर्व में अपीलाधीन रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में रास्ता स्वीकृत करने के बाद राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद हो गया था तथा अपीलांट्स द्वारा बाद में रास्ते की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार पीपाड़ द्वारा उनके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना प्रकट होता है। इन तथ्यों से साबित होता है अपीलांट्स किसी भी सूरत में रेस्पोडेंट संख्या एक को रास्ता देने हेतु तैयार नहीं है तथा रास्ते की भूमि पर येन–केन अवरोध पैदा कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए माननीय मण्डल के निर्देषों की पालना कर धारा 251–ए की मंषा के अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2013 भंवरू बनाम बनाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 18 जुलाई 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर